बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

निदेशक पर्षद् की 45वीं बैठक दिनांक 11.06.14 में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3309 दिनांक 24.06.14 द्वारा एक मुश्त निपटारा योजना लागू किया गया है। निदेशक पर्षद् की 46वीं बैठक दिनांक 28.08.14 में निदेश के आलाक में, पूर्व से लागू एक मुश्त निपटारा योजना के संबंध में निम्नांकित प्रकार से स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

➢ **ओ.टी.एस. के लिए निर्धारित पात्रता:-**

i. जिन इकाईयों नें पूर्व में लागू OTS के तहत आवेदन दिया हो एवं किसी कारणवश उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, अथवा

ii. जो इकाईयाँ आवेदन की तिथि में कार्यरत हैं, अथवा

iii. जिन्होंने एक्जिट पॉलिसी 2013 के तहत आवेदन दिया हो,

उन इकाईयों को ओ.टी.एस. का लाभ निम्नांकित प्रकार से दिया जायेगा:-

1. जिन इकाईयों का औद्योगिक ऋण/ बकाया वर्ष 1980 के पूर्व का है, उन्हें P+20% of P के आधार पर ओ.टी.एस. का लाभ दिया जायेगा।
2. जिन इकाईयों का औद्योगिक ऋण/ बकाया वर्ष 1990 के पूर्व का है, उन्हें P+15% of P के आधार पर ओ.टी.एस. का लाभ दिया जायेगा।
3. जिन इकाईयों का औद्योगिक ऋण/ बकाया वर्ष 2007 के पूर्व का है, उन्हें P+10% of P के आधार पर ओ.टी.एस. का लाभ दिया जायेगा।
4. जिन शेड का औद्योगिक ऋण/ बकाया वर्ष 01.04.2007 के पूर्व का है, उन्हें P+10% of P के आधार पर ओ.टी.एस. का लाभ दिया जायेगा।
5. पर्षद् द्वारा निर्धारित तीनों पात्रता को छोड़कर अन्य इकाईयों को मूलधन + 100% मूलधन के आधार पर ओ.टी.एस. योजना का लाभ दिया जायेगा।

शेष नियम एवं शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 5517 दिनांक 17/09/14

प्रतिलिपि :- सचिव, बियाडा/ कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर/ वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/ विधि पदाधिकारी, बियाडा/ आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा/ प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.9.2014

प्रबंध निदेशक।